फरीदाबाद
मजदूर समाचार
राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया
नई सीरीज नम्बर 239 1/- मई 2008

जहरीली गैस

इन्डस्ट्रीयल एरिया में नूकेम प्लास्टिक फैक्ट्री द्वारा तीन महीनों से जहरीली गैस ज्यादा छोड़ने से फैक्ट्री के पीछे वाली सड़क पर साँस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन होती हैं।

सामान्य हैं फैक्ट्रियों में बेगार और बन्धुआ मजदूरी

भारत सरकार के उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय का निर्णयः *संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम तनखा किसी मजदूर को देना बेगार लेना है। जिन मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम तनखायें दी जा रही हैं वे बन्धुआ मजदूर हैं। विधान-संविधान द्वारा बेगार तथा बन्धुआ मजदूरी प्रतिबन्धित हैं।*

●आई आई टी कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यहाँ ज्ञान उत्पादन के प्रमुख केन्द्रों में हैं। यह तीनों भारत सरकार के संस्थान हैं।

— आई आई टी कानपुर के कुछ छात्रों ने 1999 में किये एक सर्वेक्षण में पाया कि संस्थान परिसर में कोई भी ठेकेदार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी मजदूरों को नहीं दे रहा था।

— दिल्ली विश्वविद्यालय में 2004 में 20 स्थानों पर 1500 स्त्री-पुरुष मजदूर 28-30 करोड़ रुपये के निर्माण-मरम्मत कार्य में लगे थे। कुछ छात्रों, कर्मचारियों व अध्यापकों द्वारा गठित "मजदूरों के अधिकार के लिये विश्वविद्यालय समुदाय" ने पाया कि सब मजदूर ठेकेदारों के जरिये रखे गये थे और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी मजदूरों को नहीं दे रहे थे।

— जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में बेगार और बन्धुआ मजदूरी का विरोध उभरने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून 2007 में कुछ छात्रों को सजायें दी। जे एन यू परिसर में निर्माण कार्य, पुस्तकालय, माली, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, नये भोजनालयों में कर्मी ठेकेदारों के जरिये रखे गये हैं और इन मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता।

आकाशवाणी यानी ऑल इण्डिया रेडियो पर "मजदूर दिवस" पहली मई 08 को दोपहर समाचार : दिल्ली में सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम वेतन 140 रुपये है पर आकाशवाणी संवाददाता ने जिन मजदूरों से बात की उन सब ने बताया कि 80-85 रुपये दिये जाते हैं।

●असीम निर्लज्जता अथवा डरावनी हकीकत परोस कर निष्क्रिय करने की साजिश या फिर डगमग वर्तमान में दरारें की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ईट-भट्ठों, पत्थर खदानों से जब-तब अजूबों के तौर पर पेश किये जाते बन्धुआ मजदूरों की बात भी यहाँ नहीं करेंगे। आईये एक नजर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैक्ट्री उत्पादन पर डालें।

पहले नियम-कानून अनुसार ब्लॉक, सैक्टर, फेज वाले नियमित कारखाना क्षेत्र लेते हैं। ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में ऐसा ही स्थान है। गुड़गाँव में उद्योग विहार भी ऐसी ही जगह है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटे प्रमुख उद्योग स्थल हैं। फरीदाबाद तो है ही कारखानों का शहर।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कारखानों के लिये निर्धारित स्थानों पर लगी फैक्ट्रियों में काम करते कुल मजदूरों में से 70-75 प्रतिशत मजदूरों को आज दस्तावेजों में दिखाया ही नहीं जाता। इन 70-75 प्रतिशत मजदूरों को सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिये जाते। जिन मजदूरों के नाम कम्पनी तथा सरकार के दस्तावेजों में दर्ज किये जाते हैं उन में भी कईयों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन पर हस्ताक्षर करवाये जाते हैं पर पैसे कम दिये जाते हैं। हफ्ता-दस दिन फैक्ट्री में काम के बाद निकालने अथवा छोड़ने पर किये काम के पैसे आमतौर पर नहीं दिये जाते। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में फैले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कारखानों के लिये नियमित स्थानों पर पंजीकृत फैक्ट्रियों में 75-80 प्रतिशत मजदूरों को सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिये जाते।

दिल्ली और फरीदाबाद में ऐसे क्षेत्रों की भरमार है जो औद्योगिक उत्पादन के लिये निर्धारित नहीं हैं पर जहाँ बड़ी सँख्या में कारखाने हैं। आज फैक्ट्री उत्पादन का उल्लेखनीय हिस्सा इन अनियमित क्षेत्रों में होता है। ओखला, उद्योग विहार, नोएडा, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों के लिये नीति-योजना बनाने वालों ने इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के निवास के लिये कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किये हैं। ऐसे में अनियमित बस्तियों में निवास मजदूरों पर थोप दिया गया है और ..... और इन बस्तियों में रात-दिन वर्कशॉपों-फैक्ट्रियों का ताण्डव। खैर। तथ्य यह है कि अनियमित क्षेत्रों में होते औद्योगिक उत्पादन में कार्यरत 95-98 प्रतिशत मजदूर दस्तावेजों में अदृश्य रहते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद में अनियमित क्षेत्रों में वर्कशॉपों-कारखानों में काम करते 90-95 प्रतिशत मजदूरों को सरकारों द्वारा निर्धारित (बाकी पेज तीन पर) न्यूनतम वेतन भी नहीं दिये जाते।

इस समय 8 घण्टे प्रतिदिन कार्य और साप्ताहिक छुट्टी पर अकुशल श्रमिक (हैल्पर) के लिये मासिक निर्धारित न्यूनतम वेतन उत्तर प्रदेश में 2699 रुपये, हरियाणा में 3535 रुपये, दिल्ली में 3633 रुपये हैं।

और, मजबूरी के जले पर नमक छिड़कने के लिये मानदेय। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भी आधा, तिहाई, चौथाई वेतन मानदेय के नाम से देने में सरकारें अगुआई कर रही हैं।

●बेगार सामन्ती प्रथा (भूदास प्रथा) का आधार थी। मेहनतकशों को अनेक बन्धनों में जकड़ा गया था। मेहनतकशों से उपज का एक हिस्सा, श्रम का एक भाग जन्मजात अधिकार के तौर पर किलों-महलों वाले वसूलते थे। मण्डी के ध्वजवाहकों ने मुफ्तखोरी के विरोध का नारा बुलन्द किया। व्यापारियों ने इस हाथ ले उस हाथ दे को स्वतन्त्रता का परचम घोषित किया। भूदासों का बड़ा हिस्सा दस्तकारों-किसानों में तब्दील हुआ। क्रूरता में, दमन-शोषण में सामन्तों को बहुत पीछे छोड़ते मण्डी के प्रतिनिधियों ने कई पुराने बन्धनों को तोड़ा तो कई को बनाये रखा और अनेक नये बन्धनों की रचना की। बेगार प्रथा का तख्ता पलटने वाले व्यापारियों का पराक्रम दासों के व्यापार और बन्धुआ मजदूरों के जरिये विश्व मण्डी के निर्माण में फलीभूत हुआ।

विश्व मण्डी मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन का आधार बनी। वर्ल्ड मार्केट मजदूरी प्रथा का आधार बनी। व्यापारियों के भ्रष्टाचार, क्रूरता, दास व्यापार, बन्धुआ मजदूरी की भर्त्सना करती उत्पादन की नई पद्धति ने कम विकास को इनका कारण बताया। भाप-कोयला आधारित मशीनों के जरिये अपने को स्थापित करती पद्धति ने प्रगति और विकास को हर मर्ज की दवा घोषित किया। हर बन्धन को काटती, प्रत्येक आसरे को ध्वस्त करती प्रगति-विकास की गाड़ी ने मजदूरों की स्वतन्त्र उपलब्धता को मजदूरों की स्वतन्त्रता के तौर पर महिमामण्डित किया। और, प्रगति-विकास के रथ ने पृथ्वी को इस कदर रौंदा है कि इसके सम्मुख विगत के दमन-शोषण-अत्याचार

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद — 121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

दर्पण में चेहरा–दर–चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

एस पी एल इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 21 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में गर्म काम है। ऊपर से कम्पनी ने चारों तरफ शीशे लगा दिये हैं ताकि धूल-मिट्टी से माल गन्दा नहीं हो – मजदूर चाहे गर्मी से मर जायें। फैक्ट्री में पीने का पानी भी गर्म।"

साँई टैक्स श्रमिक : "प्लॉट 4 सैक्टर-27 सी स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 9 की ड्युटी है। हैल्परों को 12 घण्टे रोज पर 26 दिन के 2500 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। मेजों पर कपड़े की छपाई होती है और काम होने पर लगातार नाइट लगती है। नाइट मानी सुबह 9 से रात 9 के बाद एक घण्टे छोड़ते हैं और फिर रात 10 से सुबह 4 बजे तक काम। नाइट के लिये 46 रुपये रोटी के और पूरी दिहाड़ी देते हैं। सुबह 4 बजे छूट कर फिर 5 घण्टे बाद काम शुरू.... नाइट में रोज 18 घण्टे काम।"

टाटा रायरसन स्टील कामगार : " 33 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में इधर कार्य के दौरान एक मजदूर का हाथ टूटा पर कम्पनी ने एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरी। मैनेजमेन्ट ने प्रायवेट में एक्स रे करवा कर प्लास्टर चढवा दिया है।"

सेक्युरिटी गार्ड : "मुख्य डाकघर के पास कार्यालय वाली ***मयुर सेक्युरिटी*** ने 300 गार्ड और 1000 मजदूर जगह-जगह लगाये हैं। हम गार्डो की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। रोज 12 घण्टे पर पूरे महीने के 3000 रुपये। इन 3000 में से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं – ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते और फण्ड मिलता नहीं।"

विश्वकर्मा ऑटो वरकर : "प्लॉट 45-46 सैक्टर-58 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2500-2700 और ऑपरेटरों की 3500-4000 रुपये। औजार टूटने, माल रिजेक्शन पर तनखा से पैसे काटते हैं। फैक्ट्री में ***एस्कोर्ट्स, न्यू हौलैण्ड*** ट्रैक्टरों के पुर्जे बनते हैं।"

ए पी प्रोसेस मजदूर : " प्लॉट 103 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में कपड़ों की रंगाई होती है। हैल्परों को 12 घण्टे के 110 और कारीगरों को 130 रुपये देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं, त्यौहारी छुट्टी नहीं। अधिकतर मजदूरों के ई.एस.आई व पी.एफ. नहीं।"

मितासो श्रमिक : "प्लॉट 120 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे 75 हैल्परों को तनखा 2600 रुपये देते हैं जबकि भर्ती के समय 3510 बताते हैं। हैल्परों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। लोहे की पतली पत्ती से हाथ कटते हैं, दस्ताने नहीं देते। गाली देते हैं। फैक्ट्री में मात्र एक लैट्रीन है।"

इण्डोपोल कामगार : " प्लॉट 12, गुरुकुल अनंगपुर स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2300 और कारीगरों की 3000-3500 रुपये। एक शिफ्ट है 12 घण्टे की और ओवर टाइम के मात्र 9 रुपये प्रतिघण्टा। सौ मजदूर हैं, ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं।"

जी एस वरकर : "प्लॉट 744 बडकल पुल के पास रेलवे लाइन के निकट स्थित फैक्ट्री में हम हैल्परों को फरवरी और मार्च की तनखायें आज 21 अप्रैल तक नहीं दी हैं। फैक्ट्री में काम करते 300 मजदूरों में से 140 को चार ठेकेदारों के जरिये रखा है। कम्पनी ने 40 हैल्पर स्वयं रखे हैं। सब हैल्परों की तनखा 2200 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। एक शिफ्ट है 12-16-18 घण्टे की और रोटी के 17 रुपये देते हैं। यहाँ ***एस्कोर्ट्स*** ट्रैक्टरों के एक्सल सपोर्ट बनते हैं।"

फ्रेन्ज ऑटो मजदूर : "38 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में काम करते 650 मजदूरों में 500 वरकर कैजुअल हैं। कैजुअलों की ई.एस. आई. नहीं, पी.एफ. नहीं और तनखा 3000 रुपये। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

मेहरा मैटल श्रमिक : "प्लॉट 18 सैक्टर-59 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2600-2700 रुपये। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देने का आश्वासन मैनेजमेन्ट कई महीनों से दे रही है पर तनखा बढाती नहीं है।"

डी एस बुहीन कामगार : "प्लॉट 88 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 200 वरकरों में हैल्परों की तनखा 2400, ऑपरेटरों की 3200-5000 रुपये। जिन ऑपरेटरों को 3200 देते हैं उन से 3510 पर हस्ताक्षर करवाते हैं।"

साकेत योपेक्सल (यू टी) वरकर : "प्लॉट 128 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 250 मजदूर काम करते हैं – सब कैजुअल हैं। तनखा 3500 रुपये लेकिन ओवर टाइम 2100 पर और सिंगल रेट से। फैक्ट्री में ***टाटा मोटर*** और ***रेलवे*** के लिये रबड़ का बफर बनता है। पावर प्रेस का काम है। एक्सीडेन्ट होने पर प्रायवेट में एक दिन दवा करवा कर निकाल देते हैं।"

टी एस किसान मजदूर : " प्लॉट 8 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8½ और रात 7 से अगली सुबह 7½ की दो शिफ्टें हैं। मशीन शॉप में तो रोज रात 12½ घण्टे की ड्युटी रहती है। दिन वाली 12½ घण्टे ड्युटी महीने में 15 दिन रहती है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में बमों के खोल और टैंकों की चेन बनती हैं। यहाँ काम करते 160 लोगों में 35 स्टाफ वाले कम्पनी ने स्वयं भर्ती किये हैं और 125 मजदूर एक ठेकेदार के जरिये रखे हैं।"

वी जी इन्डस्ट्रीयल इन्टरप्राइजेज श्रमिक: " 31 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में पावर प्रेसों पर हाथ बहुत कटते हैं। हाथ कटों का प्रायवेट में इलाज करवा कर कुछ दिन फैक्ट्री में एकान्त में रखते हैं, ढेरों आश्वासन देते हैं और फिर चुपचाप निकाल देते हैं। एक मजदूर जिसके दोनों हाथ कट गये उसे फैक्ट्री में जाने ही नहीं दिया तो वह रेल लाइन पर जा कर कट मरने की बातें करने लगा – दोनों हाथ कटे मजदूर के परिवार को बुला कर कम्पनी ने मामला रफादफा किया।"

कास्टमास्टर कामगार : "प्लॉट 64 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में तनखा देते 2500 रुपये हैं पर हस्ताक्षर 3510 पर करवाते हैं। ई.एस.आई. व पी. एफ. की राशि 3510 अनुसार 2500 में से काटते हैं। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं। रात वाले सब मजदूर भाग गये हैं.... मैनेजमेन्ट के लोग आज 17 अप्रैल सुबह वरकर ढूँढने में लगे हैं।"

कटलर हैमर श्रमिक : "20/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री की कैन्टीन में भोजन बहुत खराब है। स्थाई मजदूरों को अच्छे जूते देने का समझौता है पर देते घटिया हैं। कैजुअल वरकरों को महीने में एक छुट्टी देते थे पर मार्च से यह बन्द कर दी है।"

इन्सान मजदूर : " प्लॉट ए-69 संजय कॉलोनी, सैक्टर-23 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2400 और ऑपरेटरों की 3000-3200 रुपये। शिफ्ट 12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से।" ***श्री इन्डस्ट्रीज श्रमिक :*** " प्लॉट 102 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में कैजुअल वरकरों की तनखा 2400 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। शिफ्ट 12 घण्टे की, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।" ***युरेस्टन मैटल इन्डस्ट्रीज कामगार :*** "125 डी एल एफ इन्डस्ट्रीयल एस्टेट स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को महीने के 2800-3000 रुपये। शिफ्ट 12 घण्टे की, रात पाली में 10-12 मजदूर ही।"

बेलमोन्ट प्लास्टिक वरकर : " प्लॉट 59 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 2000 और ऑपरेटरों की 3000-3200 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. 60 मजदूरों में 2-3 के ही।"

गुड़गाँव से- *(पेज तीन का शेष)*

महीने तक ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं।" ***जोजी कामगार :*** "प्लॉट 366 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये धागे काटने के लिये रखे जाते मजदूरों की तनखा 2200 रुपये। छोड़ने पर देंगे-देंगे कह कर पैसों के लिये दौड़ाते हैं – दिसम्बर में किये काम के पैसे आज 30 अप्रैल तक नहीं दिये हैं।" ***नीति क्लोथिंग वरकर :*** "प्लॉट 218 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में एक हजार से ज्यादा मजदूर हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. हम मजदूरों के नहीं हैं। हैल्परों की तनखा 3000 और कारीगरों की 3640 रुपये। शिफ्ट सुबह 9½ से रात 8 की है और रात 11, रात एक बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और 8-10 घण्टे का घपला भी।"

महीने में एक बार छापते हैं, 7000 प्रतियाँ फ्री बाँटने का प्रयास करते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

ई.एस.आई.

मजदूरों के कल्याण के नाम पर बनाई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) वास्तव में कम्पनियों को बरी करने के साथ-साथ भारत सरकार के लिये सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी भी है।

आमदनी अधिक और खर्च कम इस कल्याणकारी योजना का मूल मन्त्र है। वर्ष 2005-06 में भारत-भर से ई.एस.आई. ने 2410 करोड़ रुपये एकत्र किये थे और खर्च मात्र 1278 करोड़ रुपये किये। हरियाणा क्षेत्र में तो ई.एस.आई. और भी कमाल करती है। वर्ष 2005-06 में राज्य कर्मचारी बीमा निगम ने हरियाणा क्षेत्र से 121 करोड़ 62 लाख रुपये एकत्र किये और खर्च मात्र 41 करोड़ 65 लाख रुपये किये। और, अन्य विभागों की ही तरह ई.एस.आई. भी जो खर्च दस्तावेजों में दिखाती है उसका एक उल्लेखनीय हिस्सा रिश्वत आदि में जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि कल्याणकारी ई.एस.आई. द्वारा वास्तविक लूट खुलेआम की जा रही है, दस्तावेजों में दर्शाई जाती है।

खर्च कम करने और मुनाफा बढाने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अचूक नुस्खा खर्च की सीमा बाँधना है। मजदूरों के कल्याण के नाम से एकत्र राशि में से हालात अनुसार चौथाई से आधी राशि खर्च करने की सीमा बाँध दी जाती है। बीमार मजदूरों की परेशानियाँ बढाना इसका एक परिणाम है। फरीदाबाद में ई.एस.आई. डिस्पैन्सरियों को एक उदाहरण के तौर पर लें। यहाँ खर्च कम करने के लिये 16 स्थानों पर चल रही डिस्पैन्सरियों को 8 स्थानों पर सीमित किया। कम स्थानों पर डिस्पैन्सरियाँ करना कर्मचारियों की सँख्या और कम करने का जरिया भी बना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपने स्वयं के नियमों के अनुसार फरीदाबाद में डिस्पैन्सरियों में 90 डॉक्टर, 90 फार्मासिस्ट, 90 क्लर्क, 180 चतुर्थ श्रेणी आदि कर्मचारी होने चाहियें। लेकिन अपने ही नियमों को अनदेखा कर ई.एस.आई. कारपोरेशन ने यहाँ 43 डॉक्टर, 43 फार्मासिस्ट, 36 क्लर्क, 60 चतुर्थ श्रेणी के पद निर्धारित किये हैं। और, इस समय फरीदाबाद में ई.एस.आई. डिस्पैन्सरियों में वास्तव में 32 डॉक्टर, 30 फार्मासिस्ट, 19 क्लर्क, 27 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं! ऐसी ही स्थिति अन्य कर्मचारियों के सन्दर्भ में है। और, रिकार्ड सोरटर तो किसी भी डिस्पैन्सरी में है ही नहीं!!

कतारों में खड़े रहें बीमार। धक्के और बदतमीजियाँ झेलें बीमार। मुनाफा बढाने में जुटी कल्याणकारी ई.एस.आई. ने फरीदाबाद में ठेकेदार के जरिये 70 लोगों को रख कर कल्याण की एक और नई शुरूआत कर दी है।

सामान्य हैं फैक्ट्रियों में बेगार...... *(पेज एक का शेष)*

बहुत-ही फीके हैं।

●बन्धनों से मुक्ति और आसरों का ध्वंस मजदूरों की शोषण के लिये उपलब्धता से जुड़े हैं। बेगार और बन्धुआ मजदूरी से राहत की थोड़ी साँस भर चन्द क्षेत्रों में कुछ मजदूरों ने ली ही थी कि अधिकाधिक मेहनतकश अथाह दलदल में धँसने लगे।

भूदासों से किसानों-दस्तकारों में परिवर्तित समूह बेगार से मुक्त हुये। लेकिन निजी व परिवार के श्रम द्वारा मण्डी के लिये उत्पादन करने वाले किसानों-दस्तकारों के स्वतन्त्र होने के भ्रमों को व्यापारियों के दबदबे के दौर में ही अनेक बन्धनों ने झीना कर दिया था। और, मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन तो दस्तकारी-किसानी की सामाजिक मौत लिये है।

इन दो सौ वर्षो में मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन संसार-व्यापी हो गया है। संग-संग इन दो सौ वर्ष में दस्तकारी-किसानी की सामाजिक मौत-सामाजिक हत्या का सिलसिला सम्पूर्ण पृथ्वी पर बढता आया है। मेहनतकशों की बढती सँख्या मजदूरों में परिवर्तित होती आई है। मजदूरों में बदलते तबाह दस्तकार-किसान और नित नई मशीनों द्वारा मजदूरों की माँग-आवश्यकता कम करना! यह प्रगति-विकास की प्रक्रिया का परिणाम है।

इस प्रक्रिया ने आज हालात ऐसे बना दिये हैं कि जहाँ एक मजदूर की जरूरत है वहाँ एक सौ उपलब्ध हैं। यह स्थिति मजदूरों की मजबूरी इस कदर बढा देती है कि किन्हीं भी शर्तो पर काम करने को बढती सँख्या में मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। मजदूरों की बढती मजबूरी बढती दयनीयता तो लिये ही है, यह वर्तमान समाज व्यवस्था के लिये अत्यन्त घातक भी है। सब सरकारें, सब न्यायालय, सब ज्ञानी-विज्ञानी इस हकीकत से परिचित हैं पर इसके सम्मुख असहाय हैं।

बद से बदतर हो रहे हालात के सामने खड़े मजदूरों को इसलिये सरकार, न्यायालय, ज्ञानी-विज्ञानियों को किनारे छोड़ खुद सोचना होगा कि क्या करें।

(जानकारियाँ पी.यू.डी.आर. दिल्ली के प्रकाशन "उजड़े हुये लोग: जे.एन.यू. में ठेकेदारी प्रथा और मजदूरों के शोषण पर एक रिपोर्ट" से ली हैं। सम्पर्क : पी.यू.डी.आर. द्वारा शर्मिला पुरकायस्थ, 5 मिरांडा हाउस टीचर्स फ्लैट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007)

ऋचा एण्ड कम्पनी श्रमिक : "प्लॉट 239 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में दिन की शिफ्ट 10½ घण्टे की और रात की 12½ घण्टे की है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं पर हस्ताक्षर दुगुनी दर पर करवाते हैं और कहते हैं कि कोई पूछे तो डबल बताना। रात वाले 300 मजदूर बिना ज्यादा झँझट के काम करते हैं पर दिन वाले 700-800 मजदूरों से साहब बहुत चिक-चिक करते हैं, गाली देते हैं। मार्च की तनखा 22 अप्रैल को दी और जो फैक्ट्री छोड़ गये उन्हें आज 30 अप्रैल तक नहीं दी है। हैल्परों की तनखा 2700 और कारीगरों की 3640 रुपये। भर्ती के बाद 3

गुड़गाँव से- *(पेज तीन का शेष)*

आरम्भ होने से 5 मिनट पहले फैक्ट्री में पहुँचो नहीं तो एक घण्टा काट लेते हैं। शिफ्ट समाप्ति के 5 मिनट बाद फैक्ट्री से निकलो। ड्युटी 9½ घण्टे की, रोज 8 की बजाय 9½ घण्टे पर महीने के हैल्परों को 3510 और कारीगरों को 3640 रुपये।" ***आर एल खन्ना श्रमिक :*** "प्लॉट 289 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में मार्च में 200 रुपये बढाये हैं। अब कम्पनी द्वारा स्वयं रखे हैल्पर की तनखा 2600 और ठेकेदार के जरिये रखे की 2400 रुपये। कारीगरों की तनखा 3300 रुपये। महीने में 70-80 घण्टे ओवर टाइम — हैल्परों को पैसे सिंगल रेट से और कारीगरों को डेढ की दर से।" ***मोहन क्लोथिंग कामगार :*** "प्लॉट 76 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 8 की बजाय 9½ घण्टे ड्युटी पर हैल्परों को महीने के 3510 रुपये देते हैं।" ***चिन्टू क्रियेशन्स वरकर :*** "प्लॉट 295 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2600 रुपये। फैक्ट्री पहुँचने में एक निमट की देरी पर 2 घण्टे काटने की धमकी।" ***मोडलामा एक्सपोर्ट मजदूर :*** "प्लॉट 200 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 2800 रुपये। सिलाई कारीगरों को देते 3640 रुपये हैं पर हस्ताक्षर 3900 पर करवाते हैं। महीने में 50-60 घण्टे ओवर टाइम के हो जाते हैं — 2 घण्टे का भुगतान दुगुनी दर से करते हैं और बाकी का सिंगल रेट से। मार्च की तनखा 14 अप्रैल को दी।" ***हरियाणा स्टील श्रमिक :*** "प्लॉट 318 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में ***मारुति सुजुकी*** कार के पार्ट्स बनाते 500 मजदूरों की साप्ताहिक छुट्टी नहीं। हैल्परों को तीसों दिन काम पर महीने के 2700 रुपये। दिवाली पर 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बोनस देते हैं।" ***ज्योति एपरेल्स कामगार :*** "प्लॉट 159 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में महीने में 15 रोज नाइट लगती है -- सुबह सवा नो से रात एक बजे तक काम। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। तबीयत खराब होने पर आधे दिन की छुट्टी कर लेने पर उस दिन किये काम के पैसे नहीं देते।" ***किशोर एण्ड कम्पनी वरकर :*** "प्लॉट 344 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 3200 रुपये।" ***मेगा फैशन मजदूर :*** "प्लॉट 202 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में हस्तकार्य व धागे काटने के लिये ठेकेदार के जरिये 60 महिला मजदूर रखी थी। भर्ती पर तनखा 3500 बताई थी पर जनवरी की दी 2500 रुपये। फरवरी की तनखा होली तक नहीं दी और 200-300 रुपये खर्च के लिये दिये। पैसे नहीं दिये इसलिये होली के दो दिन बाद काम छोड़ दिया। कल-परसों देंगे कह-कह कर ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर गायब हो गये। कम्पनी कहती है कि रजिस्टर देख कर पैसे देगी. .... फरवरी और मार्च में किये काम के पैसे आज 30 अप्रैल तक नहीं दिये हैं।" *(बाकी पेज दो पर)*

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी
फरीदाबाद — 121001–05

गुड़गाँव से -

स्पार्क मजदूर : "प्लॉट 166 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 3510 रुपये है पर पैसे देरी से और टुकड़ों में देते हैं — मार्च की तनखा 25 अप्रैल को दी। लगातार नाइट यानी सुबह 9 से रात 2 बजे तक ड्युटी से परेशान हो कर कोई मजदूर छुट्टी करता है तो साहब उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और मार्च में किये ओवर टाइम का भुगतान आज 30 अप्रैल तक नहीं किया है। गाली बहुत देते हैं। जो मजदूर नौकरी छोड़ देता-देती है उसे किये काम के पैसे मिलने की सम्भावना ना के बराबर होती है — पैसों के लिये 8-10 चक्कर, 2-3 महीने तो दौड़ाते ही हैं। पाँच ठेकेदारों के जरिये रखे 5-600 वरकरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। पुरुष मजदूरों के लिये मात्र एक लैट्रीन है — हमेशा भीड़ लगी रहती है और यह लैट्रीन भी जाम होती रहती है। पुरुष व महिला मजदूर मिला कर 800 के करीब हैं और पीने के पानी के लिये सिर्फ एक फ्रिज !"

ग्राफ्टी एक्सपोर्ट श्रमिक : "प्लॉट 377 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में उत्पादन कार्य करते 300 सिलाई कारीगरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 2500 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं और प्रेसमैन व फोल्डरों की तनखा 3000 रुपये। फिनिशिंग विभाग में सुबह 9½ से रात 8 बजे तक कार्य के लिये 8 घण्टे के पैसे, 10½ = 8 ! एक दिन छोड़ कर नाइट लगती है, सुबह 9½ से रात 2 बजे तक काम — फिनिशिंग में 5 घण्टे को और अन्य विभागों में 7 घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं। कम्पनी के हिसाब से भी महीने में 100 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम — पैसे सिंगल रेट से और 10-15 घण्टे की गड़बड़ भी। सैम्पलिंग विभाग में तनखा 4400-4600 रुपये है पर ओवर टाइम 4000 के हिसाब से देते हैं।"

कलमकारी कामगार : "प्लॉट 283 उद्योग विहार फेज-3 स्थित फैक्ट्री में हस्तकार्य व धागा काटने के लिये ठेकेदार के जरिये रखी महिला मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, साप्ताहिक छुट्टी नहीं। महीने के तीसों दिन कार्य के बदले 2500 रुपये। ड्युटी सुबह 9 से रात पौने नो तक — 3 घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं और उनके पैसे भी सिंगल रेट से।"

किस एक्सपोर्ट वरकर : "प्लॉट 885 उद्योग विहार फेज-5 स्थित फैक्ट्री में 200 मजदूर सुबह 9 से रात 8 तक काम करते हैं। आठ की बजाय 11 घण्टे ड्युटी पर हैल्परों को महीने के 3510 और कारीगरों को 4200 रुपये। ई.एस. आई. व पी.एफ. 50 मजदूरों के ही।" ***राधुनिक एक्सपोर्ट मजदूर :*** "प्लॉट 215 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में 1000 वरकरों की 13 घण्टे ड्युटी तो है ही, 17 घण्टे भी रोक लेते हैं। दुगुनी दर पर हस्ताक्षर करवाते हैं पर ओवर टाइम के पैसे देते सिंगल रेट से हैं। हैल्परों की तनखा 3510 रुपये है पर भर्ती के लिये 200-300 रुपये रिश्वत लेते हैं और निकाल देने की धमकी दे कर साहब लोग हर महीने 200 रुपये पॉकेट खर्च लेते हैं। फैक्ट्री में चिक-चिक बहुत है।"

भोरजी सुपरटैक श्रमिक : "प्लॉट 272 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में दो ठेकेदारों के जरिये रखे 150 मजदूरों में हैल्परों की तनखा 3000 रुपये। दो शिफ्ट हैं 12-12 घण्टे की, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कम्पनी ने स्वयं 50 मजदूर रखे हैं।" ***सेक्युरिटी गार्ड :*** "सुखराली में कार्यालय वाली ***इनोविजन सेक्युरिकोर*** कम्पनी हम गार्डों से 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में ड्युटी लेती है। साप्ताहिक छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। रोज 12 घण्टे पर महीने के 4500 रुपये।" ***ईस्टर्न मेडिकिट कामगार :*** "उद्योग विहार फेज-1 में प्लॉट 195, 196, 205 व 206 तथा फेज -2 में प्लॉट 292 स्थित कम्पनी की फैक्ट्रियों में कैजुअल वरकरों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे 11½-14 रुपये प्रतिघण्टा और 3-4 घण्टे का घपला भी। मार्च की तनखा 17-20 अप्रैल को दी।" ***धीर इन्टरनेशनल वरकर :*** "प्लॉट 299 उद्योग विहार फेज-2 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। भर्ती के समय हैल्परों की तनखा 3000-3200 बताते हैं पर देते 2200-2400 रुपये हैं। जबरन ओवर टाइम पर रोकते हैं, महीने में 200 घण्टे ओवर टाइम — पैसे सिंगल रेट से और 30-40 घण्टे की गड़बड़ भी।" (बाकी पेज तीन पर)

कृष्णा लेबल मजदूर : "प्लॉट 162 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री में पानी-पेशाब के लिये भी पूछ कर जाओ अन्यथा 500 रुपये जुर्माना ! शिफ्ट

एक मजदूर का पत्र

भारत सरकार मजदूरों के लिये जो कुछ करने की घोषणायें करती है वे सब मीडिया तक ही रहती हैं। मीडिया वाले कहानियाँ इतनी बढा-चढा कर बना देते हैं कि मजदूरों को कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही बात राज्य सरकार की है। आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी के भाव और न्यूनतम वेतन बेमेल हैं। और, सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है वह भी मजदूरों को मिले या न मिले, श्रम विभाग के लिये वेतन लागू हो जाता है। हर महीने श्रम विभाग के अधिकारी फैक्ट्री-फैक्ट्री जा कर अपना वेतन लेते हैं। सारी ट्रेड यूनियनें आँख बन्द कर सो रही हैं या अब उनके बस की बात नहीं है। आज सारी यूनियनें खत्म होने के कगार पर हैं। दोस्तो, अपना जीवनयापन हम कैसे करेंगे ? हमारा विचार है कि सब मिल कर एक नयी ज्योति पैदा कर सकते हैं। हम 20-20 की तादाद में एकत्र होने लगेंगे तो एक नया संसार बनने लगेगा। (खत हम ने छोटा कर दिया है।)

दिल्ली से -

लिलिपुट किड्स वीयर मजदूर : " कम्पनी की ए-185, डी-3, डी-195 ओखला फेज-1, एक्स-59 ओखला फेज-2, तुगलकाबाद और बी-63 बदरपुर बोर्डर स्थित फैक्ट्रियों में सुबह 9 से रात 9 की ड्युटी तो पूरे वर्ष होती ही है, लगातार सुबह 9 से रात 12 बजे तक भी काम होता है। हाँ, रविवार को सुबह 9 से साँय सवा पाँच तक ही।

"19 मार्च को कम्पनी की बी-63 बदरपुर बोर्डर स्थित फैक्ट्री में कोई जाँच दल पहुँचा। कम्पनी की सब फैक्ट्रियों में सूचना फैली। सब फैक्ट्रियों में साँय 6 बजे छुट्टी कर दी जबकि रात 12 बजे छोड़ते थे। अगले दिन, 20 मार्च को सब जगह रात 8 बजे छुट्टी की। होली के दिन, 21 मार्च को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक काम हुआ। और, 24 मार्च से सब पुराने ढर्रे पर। जबकि चर्चा थी कि जाँच दल कम्पनी को कह गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तो कम से कम दो और ओवर टाइम करवाते हो तो पैसे दुगुनी दर से दो अन्यथा फैक्ट्रियों पर ताले लगा देंगे.....

"19 अप्रैल को जाँच के लिये एक मैडम लिलिपुट किड्स वीयर की ओखला फेज-1 में ए-185 स्थित फैक्ट्री पहुँची। वह सुबह सवा नो से साँय 4½ तक फैक्ट्री में रही। चारों मंजिलों पर गई। सब लाइनों में घूमी। पूछताछ के लिये कुछ मजदूरों को कैन्टीन ले गई। न्यूनतम वेतन नहीं, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से..... रोज 12 घण्टे कार्य पर 26 दिन के धागा काटने वाले पुरुष मजदूरों को 3000 और महिला मजदूरों को 3400 रुपये, पैकिंग वालों को 3200, प्रेसमैन को 3940, चैकर को 4500 रुपये और सिलाई कारीगरों को 18 रुपये प्रति घण्टा। ए-185 फैक्ट्री में 500 टेलर हैं पर अब भी 100 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। मैडम के दौरे का असर डी-3 फैक्ट्री में 19 अप्रैल को साँय 6 बजे छुट्टी में ही दिखा, बाकी सब जगह (ए-185 समेत) रात 9 बजे छुट्टी हुई।"

पूजा इन्टरप्राइजेज श्रमिक : " सी-79 ओखला फेज-1 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों को 12 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2700 रुपये। फरवरी की तनखा 10 अप्रैल को दी और मार्च की आज 20 अप्रैल तक नहीं दी है। मजदूर छोड़ जाते हैं.... अप्रैल की तनखा 2800 रुपये करने की बात।

"पूजा में काम करते स्थाई मजदूरों को 10-11 फरवरी को कहा कि 29 फरवरी से फैक्ट्री बन्द करेंगे, हिसाब ले लो। अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रहा हूँ लिख कर दो तब तनखा मिलेगी। दस मजदूरों ने 18-20 मार्च को इस्तीफे लिखे तब उन्हें तनखा और हिसाब में 5093 रुपये के चेक दिये। दो मजदूरों ने इस्तीफे लिखने से इनकार किया हुआ है — उन्हें फरवरी और मार्च की तनखायें आज 20 अप्रैल तक नहीं दी हैं। फैक्ट्री में काम जारी है, 29 फरवरी से बस नाम बदला है — पूजा इन्टरप्राइजेज से ***स्पार्कल ट्रेडिंग हाउस***। जिन से इस्तीफे लिखवा लिये वो भी काम कर रहे हैं। अब फैक्ट्री को नोएडा ले जाने की कह रहे हैं।"

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसेट दिल्ली से मुद्रित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73-2011